न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद, जिला कोटा

तारीख दायरा 05.05.2022 — तारीख फैसला 09.12.2023

छगन कंवर बाई पुत्री भवर सिंह पत्नी श्री दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद हाल जिला कोटा हाल निवासी बादल गंज , [illegible] तहसील लहसोडा जिला सवाई माधोपुर

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित:–

वादीगण की ओर से :– श्री प्रमोद कुमार चौधरी

प्रतिवादीगण की ओर से :– तहसीलदार दीगोद

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में स्थित खसरा नम्बर 1280/2164 की 0.77 है0, 1281 की 1.72 है0, 1283 रकबा 2.10 है0, 1284 की [illegible] है0, 1457 की 0.12 है0, 1657 की 0.03 है0, 1659 की 0.02 है0, 1669 की [illegible] है0, 175 की 1.89 है0, 176 की 2.44 है0, 177 की 1.53 है0, 76 की 1.70 है0 कुल किता 12 रकबा 13.37 है0 भूमि में स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमियां के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम तंवर बाई पुत्री भवरसिंह दर्ज है। जबकि वादनी का नाम छगन कंवर पुत्री भवरसिंह है। वादनी के आधार कार्ड , बैंक खाते में , पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में वादनी का छगन कंवर दर्ज है। यह कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर दर्ज किये जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तवली विधिवत करवाई गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में पटवारी हल्का कोटडादीपसिंह की रिपोर्ट अनुसार तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर एक ही व्यक्ति है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में स्थित खसरा नम्बर 1280/2164 की 0.77 है0, 1281 की 1.72 है0, 1283 रकबा 2.10 है0, 1284 की 1.01 है0, 1457 की 0.12 है0, 1657 की 0.03 है0, 1659 की 0.02 है0, 1669 की 0.04 है0, 175 की 1.89 है0, 176 की 2.44 है0, 177 की 1.53 है0, 76 की 1.70 है0 कुल किता 12 रकबा 13.37 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम तंवर बाई अंकित है जो कि गलत है। अतः वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर दर्ज किया जावे।

वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंद ग्राम कोटडादीपसिंह जमाबंदी सम्वत् 2075-78, छायाप्रति बैंक डायरी, छायाप्रति पेन कार्ड, छायाप्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पेश किये गये।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना अंकित किया है।

प्रकरण मे वादी के पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के अधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर कुमार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में स्थित खसरा नम्बर 1280/2164 की 0.77 है0, 1281 की 1.72 है0, 1283 रकबा 2.10 है0, 1284 की 1.01 है0, 1457 की 0.12 है0, 1657 की 0.03 है0, 1659 की 0.02 है0, 1669 की 0.04 है0, 175 की 1.89 है0, 176 की 2.44 है0, 177 की 1.53 है0, 76 की 1.70 है0 कुल किता 12 रकबा 13.37 है0 भूमि में वादी का नाम तंवर बाई के स्थान पर छगन कंवर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली निस्तारण उपरान्त एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 करे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में खुले आम में सुनाया गया।

सदस्य